(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 938–पीबीआर/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–6–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 246/09–10/अपील.

भगवानदास जाटव पुत्र स्व. नन्दराम जाटव
निवासी रावत मैरिज हाउस के सामने
एम.एच. रोड, नई बस्ती निकोनिया मुरार
जिला ग्वालियर
.....आवेदक

विरूद्ध

1– बाबूलाल जाटव पुत्र स्व. नन्दराम जाटव
2– जगदीश पुत्र स्व. रामसेवक जाटव
3– रिक्का पुत्र स्व. रामसेवक जाटव
4– छुट्टा पुत्र स्व. रामसेवक जाटव
निवासीगण श्रीनगर कॉलौनी
नदीपार टाल, मुरार जिला ग्वालियर
कृषक ग्राम बिजौली
तहसील व जिला ग्वालियर
.....अनावेदकगण

श्री डी.एल. अष्ठाना, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 8–6–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बिजौली की नामान्तरण पंजी क्रमांक 178 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 23–12–92 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष दिनांक 13–3–2006 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 93/2005–06/अपील दर्ज कर दिनांक 1–9–07 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर प्रथम अपील अवधि बाह्य मान्य कर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–6–2010 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए द्वितीय अपील स्वीकार किया जाकर अपील समयावधि में मान्य कर प्रकरण गुण–दोष के आधार पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नन्दराम की मृत्यु उपरांत उसके एकमात्र कानूनी वारिस आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत अभिलेख का अवलोकन एवं मनन कर प्रथम अपील समय बाह्य मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क तथा प्रकरण में निहित सक्ष्य एवं तथ्य के विपरीत आदेश पारित किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 एवं संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिनके समर्थन में एक ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि विधि अनुसार दोनों आवेदन पत्रों के साथ पृथक–पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया किया कि अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 द्वारा दिनांक 3–6–2008 को शपथ पत्र प्रस्तुत करते

हुए अभिभाषक नियुक्त किया गया था, जिसका अनावेदक कमांक 1 द्वारा कोई जवाबी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया विधिक उपधारणा जिस पक्षकार के पक्ष में हो, उसकी उपधारणा (लीगल प्रिजमसन) की जाना चाहिए और जब किसी प्रकरण में गर्भित रूप से समाविष्ट किसी अभिवचन/तथ्य पर साक्ष्य दे दी गई है, तब उसे आधार बनाया जाकर आदेश पारित करना चाहिए, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 1982 जे.एल.जे (शार्टनोट) 37, 2004 (II) एम.पी.जे.आर. 20, 1990 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट 44, ए.आई.आर. 1966 मद्रास 419 (H.N. B), ए.आई.आर. 2006 (SC) पेज 18 एच.एन. (H.N. A), 2010 (I) एम.पी.जे.आर. (SC) पेज 224, (H.N. 2,3,4), 1989 एम.पी.डब्ल्यू.एन. (नोट 155) (SC) (H.N. 2), 1995 जे.एल.जे. पेज 217 (H.N. 1,2,3,4, 5), 1974 आर.एन. 269, 1956 आर.एन. 72, 1978 आर.एन. 79 (DB) (HC), 1974 आर.एन. 220 (H.N. 1), 1977 आर.एन. 339 (DB) (HC) (H.N. 2), 2010 (III) एम.पी.जे. आर. पेज 347 (F.B.), 1990 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट 109 (H.N.), 2013 (I) एम.पी.जे. आर. (S.N. 1), 2015 (I) एम.पी.जे.आर. (S.N. 9), 2013 (II) एम.पी.जे.आर. (S.N. 21) एवं 1995 आर.एन. 377 (H.N.5,6) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में नन्दराम की मृत्यु उपरान्त उसके सभी वारिसान को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । तहसीलदार द्वारा भी पंजी पर केवल एक ही जीवित वारिस बतलाया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने में

पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 8–6–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर